

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/1053 जयपुर,दिनांक: 10.07.20

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी) के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कार्मिक सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापित स्थान	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की दिनांक
1.	विजयपाल यादव	पं.स. नीमकाथाना (सीकर)	31.08.2020
2.	सुगनचंद	पं.स. छबड़ा (बारा)	30.11.2020
3.	मोतीराम जीनगर	जिला कलेक्ट्रेट, जालोर	30.09.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर महोदय-संबंधित।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति -संबंधित।
6. आदेश में वर्णित संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी)।
7. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)